प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–28.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **58 वाहनों से मु0– 10,400 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–28 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

24 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 24 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01.राम सूरत गौतम पुत्र केशवराम नि0 उल्लवाट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–115/19, 02. राजेन्द्र पुत्र राम अवध नि0 नया ज्योतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–116/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा छेडखानी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त– सूबेदार पुत्र श्रीनाथ निवासी रेहतादलसू कुर्मियनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–105/19 धारा–354.323.504 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.04.2019 को थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की के साथ गाली–गुप्ता व मारपीट करते हुए छेड़खानी की थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना तरबगंज पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

पुलिस मुठभेड में 05 गौवंश बरामद–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चंदापुर कोट गॉव में कुछ व्यक्ति एक डीसीएम में गौवंश लाद रहे है। इस सूचना पर उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर पहुँचकर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की घेराबन्दी कर पकडने का प्रयास किया तो गौ तस्करों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया और अन्धेरे का फायदा उठाकर सभी गौ तस्कर भागने में सफल रहे। मौके से पुलिस ने एक डीसीएम एच आर 45 सी 5817, 05 अदद गौवंश व 02 अदद मोबाइल बरामद किये।अभियुक्तों कि गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में 03 जोड़े एक साथ रहने को हुए राजी –

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के पुलिस कार्यालय मे आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र मे पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री आर0पी0 सिंह के निर्देशन मे परामर्शदाताओ ने 03 बिछुड़े जोड़े को समझाबुझाकर सुखी जीवन जीने हेतू राजी कर लिये।

इन जोड़ो मे 01– लक्ष्मी देवी पत्नी जितेन्द्र यादव, 02–सोनू पत्नी सुभाष शुक्ला, 03. नेहा पत्नी अमरजीत एक साथ सुखी जीवन जीने हेतु राजी हो गये।

परामर्श केन्द्र मे उपस्थित सदस्यगण–

हेड का0 अनिल सिंह, गंगाधर शुक्ला, संतोष ओझा, यशोदा नंदन त्रिपाठी, डा0 उमा सिंह, विनय कुमार मिश्र, राजू मुखिया व राजमंगल मौर्या उपस्थित रहे।

प्रशासन ने अपनाया सख्त रूख, तोड़फोड करने वाले दो नामजद आरोपी गिरफ्तार, चुनाव आयोग ने की रिपोर्ट तलब–

दिनांक 26.04.2019 को थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अंतर्गत सकरौरा चौराहे पर गठबंधन प्रत्याशी चन्द्रदेव यादव के कार्यालय में तोडफोड की घटना प्रकाश में आयी थी। जिसमें गठबंधन प्रत्याशी द्वारा अशोक सिंह पुत्र राम गोपाल सिंह व दिलबाग सिंह पुत्र मुखा सिंह निवासीगण सकरौरा ग्रामीण एवं पप्पू पुत्र शौकत निवासी सदर बाजार व उनके 50–60 अन्य लोगो के विरूद्ध को0 करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया था। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने सख्त रूख अपनाते हुए क्षेत्राधिकारी करनैलगंज व प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज को अभियुक्तों की शीध्र गिरफ्तारी कर कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इसके परिपेक्ष्य में क्षेत्राधिकारी करनैलगंज के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी कि आज दिनांक 28.04.2019 को करनैलगंज पुलिस ने घटना में आरोपित दो नामजद अभियुक्त दिलबाग सिंह पुत्र मुक्खा सिंह व निसार अहमद उर्फ पप्पू पुत्र शौकत अली को गिरफ्तार किया है। शेष की गिरफ्तारी के लिये दबिशे जारी है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में चुनाव आयोग द्वारा पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गयी है। गठबन्धन प्रत्याशी चन्द्रदेव यादव की सुरक्षा व्यवस्था भी बढा दी गयी है।